भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *89

दिनांक 08 फरवरी, 2022 के लिए प्रश्न

विषय: पशुपालन के लिए अनुदान

***89. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पशुधन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पशुचारे पर अनुदान प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पशुचारे का उत्पादन करने के लिए संयंत्रों की स्थापना किए जाने के संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) गौशालाओं की स्थापना किए जाने के संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पशुपालकों को पशुपालन के लिए अनुदान प्रदान करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'पशुपालन के लिए अनुदान' के संबंध में दिनांक 08 फरवरी, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्र.सं. *89 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क). पशुपालन राज्य का विषय है। राज्य सरकारें पशुधन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पशु आहार की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होती है, जिसमें आवश्यक वित्तीय अपेक्षायें भी शामिल है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को संपूरित कर रही है। विभिन्न राज्यों में पशुधन के लिए अपेक्षित पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए अपने कार्यक्रम तैयार किए हैं। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' और 'पशुपालन अवसंरचना विकास निधि' योजनाएं पशुधन स्वामियों को अधिक पशु आहार उपलब्ध करवाने में समर्थ बनाती हैं।

(ख) केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना कार्यान्वित कर रही है। एनएलएम के अंतर्गत पशु आहार तथा चारा विकास संबंधी उप-मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 50 लाख रु. तक की 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करके चारा ब्लॉक/ हे बेलिंग/ सिलेज बनाने वाली यूनिटों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (जेएलजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियां लाभ पाने के पात्र हैं। साथ ही, केंद्र सरकार गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों की उत्पादन के लिए बीज वृद्धि श्रृंखला के विकास के लिए सहायता भी प्रदान कर रही है।

इसके अलावा, डीएएचडी की एक अग्रणी योजना, (15,000 करोड़ रु की) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत पात्र संस्थाओं (ईई) अर्थात् व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एफपीओ, एमएसएमई और धारा 8 की कंपनियों को छोटे, मध्यम और बड़े पशु आहार संयंत्र कुल मिश्रित राशन ब्लॉक निर्माण यूनिट, बाईपास प्रोटीन यूनिट, समृद्ध सिलेज निर्माण यूनिट, आहार सप्लीमेंट्स/ आहार पूर्व मिश्रण/ खनिज मिश्रण संयंत्र और पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, जैसी श्रेणियों में पशु आहार विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना करने और मौजूदा यूनिटों/ संयंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पात्र संस्थाएं आहार विनिर्माण यूनिट की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त कर सकती हैं। योजना के तहत, केंद्र सरकार दो वर्षों के अधिस्थगन अवधि के साथ 3.0 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।

(ग) गौ अहातों की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। सूचना के अनुसार, कई राज्य सरकारें गौ अहातों की स्थापना के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। इसके अलावा, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड भी आवारा तथा अनुत्पादक पशुओं को रखने के लिए पशु कल्याण संगठनों तथा गौशालाओं को आश्रय अनुदान प्रदान कर रहा है।

(घ) पशुपालकों को पशुपालन संबंधी अनुदान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) **विकासात्मक कार्यक्रम:** (i) गोपशु और भैंसों की नस्लों के विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, (ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), (iii) भेड़, बकरी, सुअर, कुक्कुट तथा पशु आहार और चारे के विकास के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) तथा (iv) संगणना और नमूना सर्वेक्षण के लिए पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (एलसी और आईएसएस)

(ii) **रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** खुरपका तथा मुंहपका रोग, ब्रूसेलोसिस, क्लासिकल स्वाईन ज्वर, पेस्टेडेस पेटिटिस रूमिनेंट्स (पीपीआर) जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता तथा अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए भी राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

(iii) **अवसंरचना विकास निधि:** (i) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ), (ii) डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), (iii) डेयरी क्रियाकलापों में लगी डेयरी सहकारिता तथा किसान उत्पादक संगठनों को सहायता। ये योजनाएं तकनीकी रूप से उन्नत डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, पशु आहार संयंत्र तथा नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करती है।

*****